न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर हापुड़।

उपस्थितः–श्री पंकज कुमार–II, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3652)

वाद सं०–177/2021

UPHP120028452021

पंजीकरण संख्या–177/2021

रामो आदि बनाम ग्राम सभा बंगौली आदि

दिनांकः–14.05.2026

1. पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष मय अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र 6 ग पर उभयपक्ष को सुना गया।

2. वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 6 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि माननीय न्यायालय की अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने ऐजेन्टों के माध्यम से वादी की सम्पत्ति जिसे नक्शा वाद पत्र में अक्षर क, ख, ग, घ व अक्षर फ,प,च,च, छ से दर्शित किया गया है। स्थित ग्राम बंगौली परगना व तहसील गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ पर अवैधानिक तरीके से कब्जा करके निर्माण कार्य करने से दौरान वाद बाज रहें तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे व उपयोग में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।

3. प्रार्थना पत्र 6 ग के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में वादी रामो द्वारा संक्षेप में कथन किया गया है कि विवादित भूमि का नक्शा वाद पत्र में अक्षर क, ख, ग, घ से दर्शित प्लॉट रकबई 100 वर्गगज चतुर्थ खसरा सं0–221/3 जिस की चतुर्थ सीमाएँ नक्शा वाद पत्र में दी गई है, स्थित ग्राम बंगौली परगना व तहसील गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड का वादी सं0–2 जोगेन्द्र मालिक व काबिज है तथा नकशा वाद पत्र में अक्षर फ, प, च, छ से दर्शित प्लॉट रकबई 100 वर्गगज खसरा सं0–221/4 जिसकी चतुर्थ सीमाएं नक्शा वाद पत्र के अन्त में दी गयी है, स्थित ग्राम बंगौली परगना व तहसील गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड का वादी सं0–1, रामो पत्नी बिहारी मालिक व काबिज है। पट्टो की छायाप्रतियां अनेक्जर ए तथा बी. से संलग्न हैं। उक्त प्लॉट वादीगण को दिनांक 29.09.1995 को असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा आवंटित किये गये थे, तब से आज तक वादीगण उक्त प्लॉटों पर काबिज है तथा उक्त प्लॉटों में वादीगण की झोपडियां पड़ी थी, कूडी पडी है तथा बिटौडे रखे है। वादीगण द्वारा दिनांक 16.10.2021 को उक्त झोपडियों को पुनः बनाने हेतू हटाया गया तो प्रतिवादी सं0–1 द्वारा वादीगण को उक्त प्लॉटों में झोपडियों डालने से रोका गया और कहा गया कि यह सरकारी भूमि है, हम इसमें पंचायत घर बनाएंगे। उक्त प्रतिवादी सं0–1 वोटों की राजनीति के कारण वादीगण के साथ ऐसा कर रहा है। उक्त भूमि सीलिंग की भूमि है, जिसमें अनुसूचित जाति के पट्टे आंवटित किये गये थे। वादीगण अनुसूचित जाति के है तथा वादीगण के पास रिहायस हेतू अन्य कोई भूमि नहीं है। उक्त भूमि के सन्दर्भ में वादीगण दिनांक 06.12.2014 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत तहसीलदार महोदय गढ़मुक्तेश्वर से यह सूचना भी प्राप्त कर चुके है कि आवासीय पट्टो के सन्दर्भ में अभिलेखों के अवलोकन से सम्बन्धित पट्टों के रद्द होने की पुष्टि नहीं होती हैं। जवाब RTI की छायाप्रति ने अनेक्जर 'c' से संलग्न है। प्रतिवादी सं0–1 दिनांक 17.10.2021 को पंचायत घर बनवाने हेतू उक्त भूमि की नापतोल कराने के लिए अपने साथ दो व्यक्तियों को लेकर आया वादीगण तथा अन्य गांव वालों ने प्रतिवादी सं0–1 को काफी समझाया लेकिन वोटों की रंजिश रखते हुए प्रतिवादी सं0–1 ने कहा कि अब मैं तुम्हें वोट न देने का मजा चखाऊंगा। जबकि उक्त भूमि से अलग काफी भूमि ग्राम समाज की पडी है।

4.वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में सूची सं० 25 ग के माध्यम से एक किता असल पट्टा दिनांक 29.09.1995 बिहारी निवासी ग्राम बंगौली व एक किता असल पट्टा दिनांकित 29.09.1995 जोगेन्द्र निवासी बंगौली पत्रावली पर संलग्न की गयी है।

5. प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रपत्र सं० 22 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर आधारित है, जो खण्डित होने योग्य है। भूमि खसरा सं0–221 रकबा 0.0560 है0 राजस्व अभिलेखों में नवीन परती दर्ज है जो श्रेणी 5–1 की भूमि है जो उ०प्र सरकार व ग्राम सभा की सम्पत्ति है। एस०डी०एम० गढ़मुक्तेश्वर के आदेश दिनांक 23.01.2007 के द्वारा

ख 0 सं0–221 रकबा 0.0560 है० पंचायत घर हेतु सरक्षित किया जा चुका है। ए०डी०एम० गढ़मुक्तेश्वर के आदेश दिनांक 23.01.2007 के द्वारा पंचातय घर हेतु सुरक्षित होने के बाद ख 0 सं0–221 रकबा 0.0560 है0 पर पंचायत घर का निर्माण किया जा चुका है। मौके पर पंचातय घर बना हुआ है। विवादित भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा नही है। नाही वादीगण कोई झौपड़ी पड़ी है, नाही कूड़ी बिटोरे रखे है। वादीगण का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। वादीगण का यह कथन बिल्कुल गलत है, झूठ है कि उक्त प्लाटों में वादीगण की झौपड़ियां पड़ी है, कूड़ी पड़ी है, बिटोरें रखें है और दिनांक 16. 10.2021 को उक्त झौपड़ियों को पुनः बनवाने हेतु हटाया गया तो प्रतिवादी सं0–1 द्वारा वादीगण को झौपड़ी हटाने से रोका गया और कहा गया कि ये सरकारी भूमि है हम इसमें पंचायत घर बनायेगें। जब विवादित भूमि पर पंचायत घर पहले से ही बना हुआ है तो झौपड़िया पड़े होने व कूड़ी बिटोरें रखे होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। वादीगण का यह कथन भी गलत एवं झूठ है कि प्रतिवादी सं0–1 वोटों की राजनीति के कारण वादीगण के साथ ऐसा कर रहा है। वादीगण को कोई पट्टा आवन्टित नही किया गया है। वादी न 0 2 गांव में नही रहता है मेरठ में रहता है वही पर उसका मकान है। वादीगण का यह कथन बिल्कुल गलत है कि दिनांक 10.07.2021 को पंचायत घर बनाने हेतु उक्त भूमि की नापतोल के लिए अपने साथ दो व्यक्तियों को लेकर आया हो और प्रतिवादी सं0–1 हैकड़ व मुठमर्द किस्म का व्यक्ति हो और जबरदस्ती उक्त भूमि में पंचायत घर बनवाने की फिराक में हो। जब विवादित भूमि पर पंचायत घर पहले से ही बना हुआ है तो नाप तोल का प्रश्न ही उत्पन्न नही है और नाही पंचायत घर बनवाने का प्रश्न उत्पन्न होता है। वादीगण का वाद प्रथम दुष्टया पत्रावली पर साबित नही है, ना ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। वादीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नही आये है वादीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त होने पर वादीगण को कोई क्षति नही है हानि नही है। वादीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान जी प्रार्थना है कि उपरोक्त आधारों पर वादीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किया जाये।

6. प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में सूची सं० 23 ग के माध्यम से नकल खतौनी खसरा सं० 221 रकबा 0.0560 है० जो नवीन पर्ती दर्ज है, की सत्यप्रति दाखिल की हैं।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

8. अस्थायी निषेधाज्ञा का उपशम प्रदान किये जाने हेतु वादी द्वारा तीन तत्वों का सिद्ध किया जाना आवश्यक है।

(1) क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध होता है ?

(2) क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है?

(3) क्या अस्थायी निषेधाज्ञा का उपशम न प्रदान किये जाने पर वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति धन से संभव नहीं है ?

9. सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जा रहा है कि वादी अपनी दृष्टया वाद अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है। इस बिन्दु पर निम्नलिखित रूप से विचार किया जा रहा हैः

i. वादी ने वादपत्र में कथन किया है कि प्रथम विवादित संपत्ति जिसको नक्शा–नजरी में अक्षर क,ख,ग,घ से दर्शित किया गया है, जोकि खसरा सं० 221/3 तथा द्वितीय विवादित सम्पत्ति जिसको कि नक्शा–नजरी में प,फ,च,छ से दर्शित किया गया है, जो कि खसरा सं० 221/4 है, को दिनांक 29.09.1995 को असिस्टेंट कलेक्ट्रेट द्वारा आवंटित किये गये थे, तब से वादीगण का उपरोक्त प्लोटो पर कब्जा है तथा उक्त प्लोटों में वादीगण की झौपड़िया पड़ी थी, बिटोरे रखे हैं। उपरोक्त विवादित सम्पत्तियों पर जब पुनः वादीगण द्वारा पुनः झौपड़िया बनाने की कोशिश की गयी तो प्रतिवादी सं० 1, ग्राम सभा ग्राम बंगौली, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ द्वारा रोका गया और कहा गया कि यह सरकारी भूमि है और हम इसमें पंचायत घर बनायेंगे। उक्त भूमि के संदर्भ में वादीगण दिनांक 16.12.2024 को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत

तहसीलदार गढ़मुक्तेश्वर से यह भी सूचना प्राप्त कर चुके हैं कि आवासीय पट्टों के संदर्भ में अभिलेखों के अवलोकन से संबंधित पट्टों के रद्द होने की पुष्टि नहीं होती है।

ii. उपरोक्त अभिकथनों का खण्डन करते हुये प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया है कि विवादित सम्पत्ति खसरा सं० 221 राजस्व अभिलेखों नवीन पर्ती दर्ज है, जो श्रेणी 5–1 की भूमि है, जो उत्तर प्रदेश सरकार और ग्राम सभा की संपत्ति है। एस.डी.एम. गढ़मुक्तेश्वर के आदेश दिनांकित 23.01.2007 के द्वारा खसरा सं० 221 को पंचायत घर हेतु सुरक्षित किया जा चुका है तथा पंचायत घर सुरक्षित होने के बाद खसरा सं० 221 पर पंचायत घर का निर्माण भी किया जा चुका है तथा मौके पर पंचायत घर बना हुआ है। वादीगण का कोई कब्जा नहीं है, न ही कोई झोपड़ी पड़ी है, न ही कूड़ी–बिटोरे रखे हैं।

iii. वादी ने अपने कथनों के समर्थ में सूची सं० 25 ग के माध्यम से एक किता असल पट्टा दिनांक 29.09.1995 बिहारी निवासी ग्राम बंगौली व एक किता असल पट्टा दिनांकित 29.09.1995 जोगेन्द्र निवासी बंगौली दाखिल की गयी है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कथन के समर्थन में सूची सं० 23 ग के माध्यम सेनकल खतौनी खसरा सं० 221 रकबा 0.0560 है० दाखिल की गयी है।

iv. प्रस्तुत प्रकरण में विवादित संपत्ति के संदर्भ में कमीशन कार्यवाही करवायी गयी है, जिसके संदर्भ में कमीशन आख्या मय नक्शा नजरी पत्रावली पर संलग्न है। कमीशन आख्या में उल्लेखित है कि विवादित स्थल को अक्षर क,ख,ग,घ से दर्शित किया गया है, जिसमें दो कमरों और उसके सामने बरामदे का लैंटर की ऊंचाई तक निर्माण हो चुका है और लैंटर डालने की तैयारी चल रही थी। सैटरिंग डालने के लिये सैटरिंग मिस्त्री वकीस तैयारी कर रहा था। कमरो के साथ लगे हुये पंचायत घर एवं सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। पंचात घर वर्ष 2011 में बना तथा सामुदायिक शौचालय वर्ष 2020 में बना है। जो पूर्व योजना में प्रधान द्वारा बनाये गये हैं। कमरो व सामुदायिक शौचालय के सामने और कमरों के बराबर में खाली जगह पड़ी है। गांव के अन्य लोगों द्वारा यह बताया गया कि पंचायत घर और शौचालय के पास पड़ी खाली जमीन पर बारात आदि आने या जाने के लिये बस खड़ी करके सार्वजनिक प्रयोग व उपयोग में ले रहे हैं। किसी का कोई कब्जा उक्त जमीन पर नहीं है।

v. वादीगण द्वारा प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध करने हेतु मात्र आवंटन रशीदे प्रस्तुत की गयी हैं। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि आवंटन रसीद अपने आप में अंतिम अधिकार का निर्णायक अधिकार नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उसके समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जा हस्तांतरण व राजस्व अभिलेखों में नामानतरण आदि का स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध न हो। इस संदर्भ में प्रतिवादी द्वारा विशेष रूप से यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि पंचायत घर हेतु आरक्षित है तथा उसपर कुछ पंचायत घरों का निर्माण हो चुका है तथा कुछ पंचायत घरों का निर्माण होना शेष है। वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त विवादित भूमि ग्राम सभा/ राज्य सरकार के नाम अंकित है। प्रतिवादीगण ने उक्त कथनों के खसरा सं० 221 के संदर्भ दाखिल खतौनी से किया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में विवादित संपत्ति खसरा सं० 221 श्रेणी 5–1 नवीन पर्ती के रूप में दर्ज है, जो कि ग्रामसभा व राज्य सरकार की भूमि है। प्रतिवादीगण के उपरोक्त कथनों को बल पत्रावली पर संलग्न कमीशन आख्या से भी मिलता है, जिसमें यह उल्लेखित है कि वर्तमान में विवादित सम्पत्ति पर पंचायत घर एवं सामुदायिक शौचालय बनाये गये हैं तथा उसके साथ जुड़ी हुई खाली जमीन पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं है। वादी द्वारा वाद में वर्णित किये गये कथन प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं पाये जाते हैं और प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों तथा कमीशन रिपोर्ट से होती है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण विवादित भूमि पर वैद्य एवं विधि सम्मत एवं संरक्षित आधार साबित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया वाद स्थापित करने में असफल रहे हैं।

10. अब इस बिन्दु पर विचार किया जा रहा है कि क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में विद्यमान है? वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादीगण ग्रामसभा व राज्य सरकार है तथा उनका कथन है कि विवादित भूमि पंचायतघर के निर्माण हेतु आरक्षित है। पंचायतभवन एक सार्वजनिक उपयोगिता का विषय है, जिससे कि ग्राम वासियों के

हित जुड़े होते हैं। यदि इस स्तर पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाता है तो ग्रामवासियों के सामुहिक हितों की हानि होने से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत वादीगण का अधिकार अभी परीक्षणाधीन है और यदि अंतिम रूप से वादीगण वाद में सफल होते हैं तो उन्हें विधि अनुसार समुचित राहत प्रदान की जा सकती है।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में होना पाया जाता है।

11. वादीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि अस्थायी निषेधाज्ञा का उपशम न मिलने पर उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी किसी अन्य उपाय से संभव न हो। जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक भूमि जैसे कि पंचायत घर एवं सामुदायिक शौचायलय के परियोजन में अवरोध उत्पन्न होने पर व्यापक जनहित प्रभावित हो सकता है। अतः अपूर्णनीय क्षति का यह बिन्दु भी वादी पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायालय इस मत का है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का उपशम प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक तत्वों जैसे कि प्रथम दृष्टया वाद सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

–आदेश–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु 02.07.2026 को पेश हो।

(पंकज कुमार द्वितीय)
अपर सिविल जज(जू०डि०)
गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

Digitally signed by Pankaj Kumar
Date: 2026.05.15 17:49:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court